(भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक : 14/23 सितम्बर,2005

अधिसूचना

जी.एस.आर..... राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग अधिनियम 2004(2005 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. लघु शीर्षक तथा आरम्भ (1) इन नियमों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग (वार्षिक रिपोर्ट) नियमावली, 2005 कहा जाएगा।

(2) वे सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा- इन नियमों के अंतर्गत, जबतक कि संदर्भ के अन्तर्गत अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अधिनियम'' का आशय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग,2004 (2005 का 2) से है।

(ख) ''आयोग'' का आशय अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग है।

(ग) इन नियमों में प्रयुक्त सभी अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों जिनकी अधिनियम में परिभाषा नहीं की गई है, तथा की गई है के कमशः वही आशय होंगे जैसा कि अधिनियम में दिए गए है।

3. वार्षिक रिपोर्ट का फार्म, प्रस्तुत करने का रीति और समय-

(1) आयोग इन नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित फार्म में अपने कार्यकलापों का सही-सही तथा पूर्ण लेखा-जोखा देते हुए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के संवर्द्धन और विकास संबंधी विद्यमान अथवा किसी प्रस्तावित कार्यकम के संबंध में केन्द्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) आयोग द्वारा उप-नियम (1) में उल्लिखित पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात तीन कैलेण्डर महीनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

परिशिष्ट

(उपनियम-3)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट का फार्म

1. प्रस्तावना
2. आयोग का गठन
3. आयोग की बैठकें
4. वर्ष की मुख्य-मुख्य बातें
5. यात्राएं एवं दौरे
6. वर्ष के दौरान प्राप्त याचिकाओं और शिकायतों का विश्लेषण
7. अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के अधिकारों की वंचना संबंधी मामले तथा अनुसूचित विश्वविद्यालयों के साथ संबंधन
8. केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों से प्राप्त संदर्भ तथा आयोग की सिफारिशें
9. आयोग द्वारा किए गए अध्ययन
10. अल्पसंख्यकों की शिक्षा के समेकित विकास हेतु सिफारिशें
11. अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों के उल्लंघन तथा उन्हें वंचित किए जाने के उदाहरण
12. निष्कर्ष

सं. एफ 7-30/2005-एम सी

(सुनिल कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, नई दिल्ली-110064

प्रति प्रेषितः

1. लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली, संसद भवन
2. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली संसद भवन
3. सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
4. अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग, नई दिल्ली। प्रथम तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग